

13.4.18

पत्रीवली काज प्रस्तुत हुई। गैरसाधन/  
 अधिनक्ता दातुपस्थित। तीतकाय काज  
 लगाए गए लेकिन कोई उपस्थित नहीं  
 हुआ। कतिबुमी के 25/2/18 को नोटिस  
 तामिल हुआ उसके पश्चात अनेक बार  
 जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर  
 दिया गया लेकिन कतिबुमी अथवा  
 उनके अधिनक्ता द्वारा कोई जवाब  
 प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके लक्षण  
 हैं कि गैरसाधन इस संदर्भ में कुछ भी  
 कहता नहीं चाहते हैं एवं किसी प्रकार  
 का साक्ष्य (त्राय साक्ष्य) भी नहीं है अतः  
 श. गैर साधन को कतिबुमी घोषित  
 किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा  
 जाकर प्रस्तुत हो। निर्णय खुले न्यायक्रिय  
 में सुनाया गया। पत्रीवली फलल शुभा  
 हेतु नम्बर स कम हो।

13.04.18

नायब तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के  
 पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 1 पर जुर्माना/फसल  
 निलामी राजस्व 302 + 195 की मांग दर्ज की गई।  
 22501- 13.7.18  
 तहसील राजस्व लेखाकार  
 तहसील सिणधरी

(देखिये नियम 3)

नोटिस

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी

प्रकरण स0.36/2018

संवत् 2074

साल 2018

राज्य सरकार बजरिये पटवारी

बनाम

उदराम, रावताराम पि. कानाराम कोम  
कामबी साखिन जेठिया जीवराज

पटवारी हल्का जेठिया जीवराज ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि आप मौजा जेठिया जीवराज के खसरा नम्बर 27 किस्म भूमि जे.मु.जे.ए. रकबा 1.0-07 बीघा में से 04-00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 05/03/2018 से पूर्व भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या लीडर द्वारा दिनांक 05/03/2018 को 10:30 बजे पूर्वाह्न अदालत हाजा में हाजिर हों तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों नहीं किया जावे। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त प्रकार विधि विरुद्ध किये गये अतिक्रमण के लिये विधि सम्मत शारित क्यों न अधिरोपण की जावे। आपसे यह दर्शित करने के आपको तीन माह तक की अवधि के लिये क्यों नहीं सिविल कारावास सुपुर्द कर<sup>दिया</sup> जावे वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शारित सदमय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रहे कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके अराफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में निश्चित किया जावेगा।

आज दिनांक 16/02/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।  
19.02.18



19/2  
नायब तहसीलदार सिणधरी  
नायब तहसीलदार, सिणधरी